नम्बर अहकाम तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/25		
	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 151 CPC प्रस्तुत हुई।	
	प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा जो शपथपत्र गवाह PW1 दिनांक 22/01/21 को प्रस्तुत किया है, उस शपथपत्र के पैरा नं. 4 श्री 7, 8, 9 व 12 की पंक्ति का वर्णन अपने वाद में कहीं नहीं किया है। इसी प्रकार मद नं. 5, 6, 7 में जो अंकित किया है वह प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर उसे डिनाई करते हुए अंकित किया गया है। जो वादी अपने शपथपत्र में नहीं ले सकता। क्योंकि वादी जवाबदावे के तथ्यों को डिनाई करते हुए गवाह रूप परीक्षित नहीं करा सकता। इस आधार पर प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी को नया शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया जावे।	
	वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर मौखिक बहस की गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	बहस उभयपक्ष सुनी गई।
	विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि शपथपत्र की मद संख्या 5, 6, 7 में कोई नवीन तथ्य नहीं है। केवल जवाबदावे का खण्डन किया गया है जिस पर प्रतिवादी द्वारा बहस की जाती। धारा 151 CPC में शपथपत्र के तथ्यों को हटाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।
	विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि डिनायल के आधार पर शपथपत्र नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। शपथपत्र वाद के आधार पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2006 CJ (338) भी प्रस्तुत किया।
	हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
	हमने न्यायिक दृष्टान्त 2006 CJ (338) से भी ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

...क्र ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	* न्यायिक दृष्टान्त 2006 CJ (338) में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा निर्धारित किया गया है कि — Practice and Procedure - Plea not raised - whether it may be allowed to raise now by way of affidavit? - Held - <u>NO</u>	
	* उक्त न्यायिक दृष्टान्त स्थापित करता है कि जो अभिवाक् वाद पत्र में समुल्लिखित नहीं किया गया है, उसे शपथपत्र के माध्यम से समुल्लिखित नहीं किया जा सकता।	
	* उक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में हमारे विनम्र मत में वादी अपने वादपत्र से बाहर जाकर कथन करने से एस्टोप्ड है। अत: वादी प्रतिवादी के जवाब दावे के डिनायल के आधार पर शपथपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता।	
	* उक्त परिस्थितियों में हम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 151 CPC स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।	
3	* अत: प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है कि वह वादपत्र के आधार पर अपना गवाह शपथपत्र पुनः प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 27/6/2025 को पेश हो। 20/6/25